राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संख्या-464/2005

मजीद बनाम राजस्थान राज्य व अन्य

दिनांक-**06.12.2007**

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री एम इकबाल खान, अधिवक्ता,परिवादी- निगरानीकर्ता की ओर से

--

परिवादी-निगरानीकर्ता मजीद की ओर से यह निगरानी याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, कामां जिला-भरतपुर द्वारा नंबरी फौजदारी संख्या-614/99 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 06.04.2005 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विपक्षी-अभियुक्तगण को धारा 148,452,341,323,336 व 427 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से दोषमुक्त किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता को इस निगरानी की ग्राहयता पर सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय सामग्री का अवलोकन किया गया।

अभियोजन मामले के अनुसार विपक्षी-अभियुक्तगण के द्वारा हाथो में सरिया, लाठी, बल्लम, फरसा व कट्टा इत्यादि लेकर आना तथा परिवादी-पक्ष के मजीद व अश्रफी के साथ मारपीट करना बताया गया है लेकिन इन दोनों ही आहतगण के कोई जाहिरा चोट आना नहीं पायी गयी है तथा आहतगण द्वारा केवल दर्द की शिकायत करना डॉक्टर ने कथन किया है। इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में साक्षीगण की साक्ष्य में आये विरोधाभास व अन्य समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अन्वीक्षा न्यायालय द्वारा विपक्षी-अभियुक्तगण की दोष सिद्धी का जो निर्णय दिया है, जिसमें कोई विधि विरूद्धता अथवा अनुचितता परिलक्षित नहीं हो रही है।

फलस्वरूप इस निगरानी याचिका में कोई सार नहीं होने के कारण इसे इसी प्रक्रम पर निरस्त किया जाता है।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)